

मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023

जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान राज्य में जोधपुर में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- 1) इस अधिनियम का नाम मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2023 है।

2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

क) "विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय की धारा 25 के अधीन यथागठित विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

ख) "संबद्ध महाविद्यालय" से ऐसी शिक्षा संस्था अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार दिये गये हों;

ग) "बोर्ड" से धारा 23 के अधीन गठित विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है;

घ) "घटक महाविद्यालय" से विश्वविद्यालय द्वारा संधारित कोई महाविद्यालय अभिप्रेत है;

ड) "संकाय" से विश्वविद्यालय का कोई संकाय अभिप्रेत है;

च) "विहित" से परिणियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

छ) "प्राचार्य" से किसी महाविद्यालय का मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस रूप में कार्य करने के लिए सम्यक् रूप से नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

- ज) “निवासी” से चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातकोत्तर डिप्लोमा या स्नातकोत्तर या अतिविशेषज्ञीय पाठ्यक्रमों का छात्र अभिप्रेत है;
- झ) “परिनियम” “आर्डिनेन्स” और “विनियम” से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम अभिप्रेत हैं;
- ञ) “विश्वविद्यालय का छात्र” से सम्यक् रूप से संस्थित किसी उपाधि, डिप्लोमा या अन्य विद्या संबंधी उपाधि के लिए पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय में नामांकित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- ट) “अध्यापक” से शिक्षा देने या अनुसंधान संचालित और उसमें मार्गदर्शन करने के प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त या मान्यता प्राप्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मिलित है जिसे परिनियमों द्वारा अध्यापक होना घोषित किया जाये;
- ठ) “विश्वविद्यालय” से इस अधिनियम के अधीन स्थापित और निगमित मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
- ड) “विश्वविद्यालय विभाग” से विश्वविद्यालय द्वारा संधारित कोई विभाग अभिप्रेत है।

अध्याय -2

विश्वविद्यालय

3. विश्वविद्यालय का निगमन.- 1) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और प्रथम कुलपति और बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य और ऐसे सभी व्यक्ति, जो इसके पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य हो जाते हैं, जब तक वे ऐसा पद या सदस्यता धारण किये रहते हैं, “मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय” के नाम से एक निगमित निकाय का गठन करेंगे और उसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और उस नाम से वह वाद ला सकेगा और उस पर वाद लाया जा सकेगा।

2) विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित और धारित करने, ऐसी

किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति को, जो उसमें निहित हो या उसके द्वारा अर्जित की जाये, पट्टाकृत, विक्रीत या अन्यथा अंतरित या व्ययनित करने और संविदा करने और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक अन्य समस्त बातें करने के लिए सक्षम होगा:

परन्तु ऐसी सम्पत्ति का ऐसा कोई भी पट्टा, विक्रय या अंतरण राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा।

3) विश्वविद्यालय का मुख्यालय जोधपुर में होगा जो कुलपति का मुख्यालय होगा।

4. विश्वविद्यालय के उद्देश्य.- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात:-

- क) नवीन उन्नति और ज्ञान का प्रसार करना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना;
- ख) स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य प्रबंधन, अस्पताल प्रबंधन, स्वास्थ्य नीति, जैव-चिकित्सा अभियांत्रिकी, स्वास्थ्य वित्तपोषण, जैव सांख्यिकी, स्वास्थ्य आपदा और महामारी प्रबंधन तथा शमन के लिए संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना;
- ग) व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी व्याधियों की रोकथाम, प्रचार और प्रबंधन में सहायता करना;
- घ) मल्टी-स्पेशलिटी अस्पतालों, रेफरल स्वास्थ्य केन्द्रों, स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं सहित चिकित्सा और स्वास्थ्य संस्थाओं को एक मंच प्रदान करना, स्थापित करना, विकसित करना और पोषित करना तथा विद्यमान संस्थाओं को उत्कृष्टता केन्द्र के रूप में उन्नत करना;
- ङ) स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में रोगियों का उपचार, प्रबंध, पुनर्वास करना और रोकथाम, नियंत्रण, उपचार, प्रबंधन और रोगियों के पुनर्वास के लिए मानक प्रोटोकाल विकसित करना;

- च) नर्सिंग, पराचिकित्सा, फिजियोथैरेपी, फार्मसी और अन्य सहबद्ध स्वास्थ्य विषयों में संस्थाओं का विकास प्रोत्साहित और स्थापित करना;
- छ) अनुसंधान संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, नैदानिक केन्द्रों और पुर्नवास एवं व्यावसायिक थैरेपी केन्द्रों को सम्मिलित करते हुए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं स्थापित, विकसित और प्रबंधित करना;
- ज) एकीकृत स्वास्थ्य प्रबंधन और सूचना प्रणाली, (आईएचएमएस) टेलीमेडीकल तथा ई-लर्निंग और दूरस्थ शिक्षा और अध्यापन संस्थाओं के प्रबंधन को सम्मिलित करते हुए ई-स्वास्थ्य स्थापित और प्रोत्साहित करना;
- झ) रोबोटिक्स, आधुनिक प्रगतिशील तकनीकों के निवारण, नियंत्रण, उपचार और रोगियों के पुनर्वास में प्रयोग को स्थापित और प्रोत्साहित करना;
- ञ) जैव-चिकित्सा अनुसंधान, चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महामारी विज्ञान और जन स्वास्थ्य में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करना;
- ट) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पर्यावरण विज्ञान, खाद्य एवं पोषण के लिए केन्द्र और संस्थाएं स्थापित और विकसित करना;
- ठ) आनुवांशिक अनुसंधान, आणविक जीव विज्ञान, नाभिकीय औषधि, ट्रांसफ्यूजन यूनान औषधि, रक्त विज्ञान और प्रतिरक्षा विज्ञान, अंग प्रत्यारोपण, रॉबोटिक सर्जरी, जैव-सूचना और आयुर्विज्ञान तथा दंत चिकित्सा के अन्य क्षेत्रों के लिए संस्थाएं स्थापित और विकसित करना;
- ड) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण और चिकित्सा-सामाजिक विज्ञानों के लिए केन्द्रों को स्थापित और प्रोत्साहित करना; और
- ढ) समस्त स्वास्थ्य और सहबद्ध स्वास्थ्य विषयों में अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्र स्थापित करना।

5. विश्वविद्यालय की शक्तियां और कर्तव्य.- विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात्.-

- क) आयुर्विज्ञान, स्वास्थ्य और दंत चिकित्सा की ऐसी शाखाओं में अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थित करना जो विश्वविद्यालय उचित समझे और साक्ष्य और अनुसंधान आधारित अद्यतन, अनुसंधान संचालित करने, और ऐसे ज्ञान के प्रसार के लिए उपबंध करना;
- ख) उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र, अध्येतावृत्तियां और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां संस्थित करना और प्रदान करना;
- ग) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देना, रजिस्टर करना और नामांकित करना और परीक्षाएं या परीक्षण संचालित करना और उनके संबंध में शर्तें और प्रोटोकाल अधिकथित करना;
- घ) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना और ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और अन्य विद्या संबंधी उपाधियां मंजूर और प्रदान करना जिन्होंने-
 - i) विश्वविद्यालय, घटक या सम्बद्ध महाविद्यालयों में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है; या
 - ii) विश्वविद्यालय, घटक या सम्बद्ध महाविद्यालयों में अनुसंधान किया है;
- ङ) परिणियमों में अधिकथित रीति से और शर्तों के अधीन सम्मानिक उपाधियां या अन्य विद्या संबंधी उपाधियां प्रदान करना;
- च) ऐसे व्यक्तियों, जो विश्वविद्यालय के छात्र न हों, को ऐसे डिप्लोमे प्रदान करना और उनके लिए ऐसे व्याख्यान और शिक्षण का उपबंध करना जो विश्वविद्यालय अवधारित करे;
- छ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकारियों से एक ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार या सहयोग करना जो विश्वविद्यालय अवधारित करे;

- ज) परिनियमों और आर्डिनेन्सों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अध्येतावृत्तियां जिनमें यात्रा अध्येतावृत्तियां भी सम्मिलित हैं), अध्ययन वृत्तियां, वृत्तिका, पदक और पुरस्कार संस्थित और प्रदान करना;
- झ) किसी उपाधि या डिप्लोमे के लिए किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए, किसी भी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी किसी भी उपाधि या डिप्लोमे को अपनी स्वयं की उपाधि के समकक्ष मान्यता प्रदान करना;
- ञ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक अनुसंधान संस्थानों, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, या अन्य सुविधाओं की स्थापना करना, उनका संधारण, विकास और प्रशासन करना;
- ट) छात्रों और शिक्षकों के छात्रावासों तथा निवास स्थानों की स्थापना, संधारण, विकास और प्रशासन करना;
- ठ) आर्डिनेन्सों के अनुसार फीस और अन्य प्रभार नियत और संगृहीत करना;
- ड) निवासियों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय, के छात्रों के अनुशासन का विनियमन करना और उनके स्वास्थ्य की अभिवृद्धि करने के लिए प्रबंध करना;
- ढ) विश्व विद्यालयों द्वारा अपेक्षित अध्यापन, प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय और अन्य प्रशासनिक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;
- ण) प्रकाशन कार्य, अनुसंधान और मेरिट का जिम्मा लेना;
- त) अपने अस्पतालों में रोगियों के प्रबन्ध, उपचार और पुनर्वास सेवाओं के लिए उपबंध करना;
- थ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र कोर्स, अध्येतावृत्ति और अन्य विद्या संबंधी उपाधियों के लिए पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या, प्रोटोकाल, परीक्षा का पैटर्न, जनशक्ति, उपस्करों और

अवसंरचना के रूप में अपेक्षित संसाधनों को मान्यता देना और विनिश्चित करना;

- द) उपाधि, डिप्लो मा, प्रमाणपत्र कोर्स, अध्येतावृत्ति और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन प्रदान करने के लिए संस्थाओं से फीस प्रभारित करना और संबद्ध करने का उपबंध करना; और
- ध) ऐसे समस्त कार्य और बातें करना चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों से आनुषंगिक हों या नहीं, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के क्रम में अपेक्षित हों।

6. अधिकारिता.- 1) राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 2005 का अधिनियम सं. 1) या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता का प्रसार, राजस्थान राज्य के भीतर चिकित्सा, दंत चिकित्सा, फार्मसी और नर्सिंग महाविद्यालयों के, इन विषयों में और स्वास्थ्य विज्ञान के अन्य विषयों में शिक्षा देने वाले और उसके घटक, संबद्ध, या स्वायत्त महाविद्यालयों और ऐसे अन्य महाविद्यालयों, संस्थानों, संस्थाओं और विभागों पर भी होगा जो राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाये।

2) राज्य सरकार, लिखित आदेश द्वारा,-

- क) विश्वविद्यालय को प्रादेशिक सीमाओं के भीतर के किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय से विधि द्वारा निगमित किसी भी अन्य विश्वविद्यालय से उसकी सम्बद्धता या उसके विश्वविद्यालय जन्य विशेषाधिकार ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, समाप्त कर लेने की अपेक्षा कर सकेगी, या
- ख) आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भी संस्थान, संस्था या महाविद्यालय को, जिसका राज्य सरकार की राय में स्वायत्त होना या उसे किसी भी अन्य विश्वविद्यालय

या निकाय से सम्बद्ध किया जाना या विशेषाधिकारों का दिया जाना अपेक्षित है, इस अधिनियम के द्वारा गठित विश्वविद्यालय को सम्बद्धता या उसके विशेषाधिकार दिये जाने से ऐसी सीमा तक, जो आवश्यक और उचित समझी जाये, अपवर्जित कर सकेगी।

3) राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के परामर्श से, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय की अधिकारिता में स्थित किसी भी सरकारी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का घटक महाविद्यालय होना प्रमाणित कर सकेगी। ऐसे महाविद्यालय की भूमि, भवन, प्रयोगशालाएं, उपस्कर, पुस्तकें और कोई भी अन्य सम्पत्तियां तब विश्वविद्यालय में निहित हो जायेंगी और ऐसे महाविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक और कर्मचारी स्क्रीनिंग के माध्यम से उपयुक्त पाये जाने पर और ऐसे निबंधनों और शर्तों, जो अधिसूचना में अधिकथित की जायें, की पूर्ति करने पर विश्वविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक या, यथास्थिति, कर्मचारी समझे जायेंगे।

7. विश्वविद्यालय सभी वर्गों और पंथों के लिए खुला होगा.- विश्वविद्यालय जाति, वर्ग, पंथ या लिंग पर विचार किये बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला होगा:

परन्तु विश्वविद्यालय,-

- क) विश्व विद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता को निर्बन्धित कर सकेगा,
- ख) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि या राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, छात्राओं और अन्य प्रवर्गों के लिए आरक्षण कर सकेगा।

8. निरीक्षण.- 1) कुलाधिपति को, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह निदेश दे,-

- क) विश्व विद्यालय, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों का; या
- ख) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी महाविद्यालय, संस्थान, संस्था या छात्रावास का; या
- ग) विश्व विद्यालय द्वारा संचालित या किये गये अध्यापन और अन्य कार्य का; या
- घ) विश्व विद्यालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के संचालन का,

निरीक्षण करवाने का अधिकार होगा।

2) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों से, जैसा वह निदेश दे, जांच करवाने का भी अधिकार होगा।

3) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, किये जाने वाले निरीक्षण या जांच करवाने के अपने आशय के बारे में विश्वविद्यालय को सूचना देगा/ देगी और विश्वविद्यालय ऐसे निरीक्षण या जांच में प्रतिनिधित्व किये जाने का हकदार होगा।

4) कुलाधिपति, विश्वविद्यालय को ऐसी जांच या निरीक्षण के परिणाम के संबंध में अपने विचारों से संसूचित करेगा/ करेगी और उन पर विश्वविद्यालय की राय अभिनिश्चित करने के पश्चात् की जाने वाली कार्रवाई के बारे में विश्वविद्यालय को सलाह दे सकेगा/ सकेगी और ऐसी कार्रवाई करने के लिए समय-सीमा नियत कर सकेगा/ सकेगी।

5) विश्वविद्यालय इस प्रकार नियत की गयी समय सीमा के भीतर-भीतर, कुलाधिपति द्वारा दी गयी सलाह पर की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में कुलाधिपति को रिपोर्ट देगा।

6) यदि विश्वविद्यालय नियत की गयी समय सीमा के भीतर-भीतर कार्रवाई नहीं करता है, या यदि कुलाधिपति की राय में, विश्वविद्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई समाधानप्रद नहीं है तो कुलाधिपति, विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण पर या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात् ऐसा निदेश जारी कर

सकेगा/ सकेगी जैसा वह उचित समझे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेश का पालन करेगा।

7) यदि विश्वविद्यालय, उप-धारा 6) के अनुसार जारी किये गये ऐसे निदेश का, ऐसी नियत समय सीमा के भीतर, जो इस निमित्त कुलाधिपति द्वारा नियत की जाये, पालन नहीं करता है तो कुलाधिपति को स्वविवेकानुसार ऐसे निदेश का क्रियान्वयन कराने के लिए किसी व्यक्ति या निकाय को नियुक्त करने की और उसके व्ययों के लिए ऐसा आदेश करने की शक्ति होगी जो आवश्यक हो।□।

अध्याय-3

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9. विश्वविद्यालय के अधिकारी.- विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:-

- क) कुलाधिपति;
- ख) कुलपति;
- ग) प्रतिकुलपति;
- घ) कुल -सचिव;
- ङ) वित्त अधिकारी;
- च) परीक्षा नियंत्रक;
- छ) संकार्यों के संकायाध्यक्ष;
- ज) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष;
- झ) सम्पदा अधिकार; और

ञ) ऐसे अन्य अधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी होना घोषित किया जाये।

10. कुलाधिपति.- 1) राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होगा। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और उपस्थित होने पर, उसके दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

2) कोई भी सम्मानिक उपाधि प्रदान किये जाने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यक्षीन होगा।

3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के कार्यकलाप के प्रशासन के संबंध में ऐसी सूचनाएं या अभिलेख प्रस्तुत करें जिनकी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाये।

4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा प्रदत्त की जायें।

11. कुलपति.- 1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

2) कोई भी व्यक्ति, कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा/ होगी जब तक कि वह विधि द्वारा स्थापित मान्यताप्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय या संस्थान या किसी विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रतिष्ठित अनुसंधान और/ या शैक्षणिक, प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और संस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला/ वाली कोई चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात शिक्षाविद न हो।

3) कुलपति, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किये गये पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा-

(क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;

(ख) महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् या उसका नामनिर्देशिती;

(ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और

(घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति,

और कुलाधिपति, इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

4) विश्वविद्यालय और उसके महाविद्यालयों से असंबद्ध उच्च चिकित्सा क्षेत्र का कोई विख्यात व्यक्ति ही खोजबीन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित किये जाने के लिए पात्र होगा।

5) खोजबीन समिति, कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए कम से कम तीन व्यक्तियों का और अधिकतम पांच व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और उसकी सिफारिश करेगी।

6) कुलपति के चयन के प्रयोजन के लिए खोजबीन समिति, लोक सूचना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेगी और कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों के नामों पर विचार करते समय, खोजबीन समिति, शैक्षणिक उत्कृष्टता, देश में उच्च चिकित्सा प्रणाली में प्रदर्शन और शैक्षणिक तथा प्रशासनिक शासन में पर्याप्त अनुभव को उचित महत्व देगी और अपने निष्कर्षों को लेखबद्ध करेगी और उन्हें कुलाधिपति को प्रस्तुत किये जाने वाले पैनल के साथ संलग्न करेगी।

(7) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता/ करती है, पांच वर्ष या उसके सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(8) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का हकदार होगा जो विहित की जायें।

(9) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह रिक्ति कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा 3) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा 10) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(10) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा 9) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा, जो राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के

पद के कृत्यों के, राज्य-विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य कुलपति द्वारा, निर्वहन के लिए व्यवस्था करायेगा।

(11) कुलपति किसी भी समय, अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का/ की इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, पद का त्याग कर सकेगा/ सकेगी।

(12) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जायेगी।

(13) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था/ थी, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा/ सकेगी जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था/ थी और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(14) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय, ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(15) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसी कि बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(16) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टी का हकदार होगा:-

क) प्रत्येक ग्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक

दिवस की दर से पूर्णवैतनिक छुट्टी; और

ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।

12. कुलपति का हटाया जाना.- 1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या अन्यथा यदि किसी भी समय, कुलाधिपति की राय में, कुलपति इस अधिनियम के उपबंधों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप या इंकार करता है या

उसमें निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है, या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत होता है कि कुलपति का पद पर बने रहना विश्वविद्यालय के हित के लिए हानिकर है तो कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, आदेश द्वारा, कुलपति को हटा सकेगा:

परन्तु कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, ऐसा आदेश करने से पूर्व जांच लम्बित रहने के दौरान, कुलपति को किसी भी समय निलंबनाधीन रख सकेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति द्वारा कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपति को उसके विरुद्ध की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

2) उप-धारा 1) में निर्दिष्ट किसी भी जांच के लंबित रहने के दौरान या उसको ध्यान में रखते हुए कुलाधिपति, राज्य सरकार के परामर्श से, यह आदेश दे सकेगा कि अगले आदेश तक-

क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कृत्यों का पालन करने से विरत रहेगा, किन्तु वह उन परिलब्धियों को प्राप्त करता रहेगा जिनका वह अन्यथा हकदार था;

ख) कुलपति के पद के कृत्यों का पालन आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

13. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) कुलपति, विश्वविद्यालय से संबंधित मामले बोर्ड को उसके विचार-विमर्श और विचार के लिए प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा। उसे बोर्ड और विद्या परिषद् की बैठकें बुलाने की शक्ति होगी।

(4) कुलपति का विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण होगा और वह विश्वविद्यालय में सम्यक् अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) कुलपति इस अधिनियम और परिनियमों, आर्डिनेन्सों और विनियमों के उपबंधों का निष्ठापूर्वक पालन सुनिश्चित करेगा और उसे ऐसी समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

(6) किसी आपात में, जिसमें कुलपति की राय में तुरंत कार्रवाई करना अपेक्षित हो, कुलपति ऐसी कार्रवाई करेगा जो वह आवश्यक समझे और की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट, शीघ्रतम अवसर पर, ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को करेगा जो उस मामले में सामान्य अनुक्रम में कार्रवाई करता।

(7) जहां कुलपति द्वारा उप-धारा 6) के अधीन की गयी किसी कार्रवाई से विश्वविद्यालय की सेवा में के किसी भी व्यक्ति पर उसके लिए अलाभकारी प्रभाव पड़ता है, वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसी तारीख से, जिसको उसे की गयी कार्रवाई से संसूचित किया जाये, तीस दिवस के भीतर-भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा।

(8) पूर्वोक्त के अध्यक्षीन रहते हुए, कुलपति, विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन और पदच्युति संबंधी बोर्ड के आदेशों को कार्यान्वित करेगा।

(9) कुलपति, अध्यापन, अनुसंधान और अन्य कार्य के निकट समन्वय और एकीकरण के लिए उत्तरदायी होगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित की जायें।

14. प्रतिकुलपति.- 1) कुलपति, यदि वह आवश्यक समझे, विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी को प्रतिकुलपति नियुक्त कर सकेगा।

2) उप-धारा 1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त उक्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

3) प्रतिकुलपति, कुलपति के प्रसादानुसार पद धारित करेगा।

4) प्रतिकुलपति एक हजार रुपये प्रति मास का मानदेय प्राप्त करेगा।

5) प्रतिकुलपति, कुलपति का ऐसे मामलों में सहयोग करेगा जो कुलपति द्वारा समय-समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये जायें और कुलपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो कुलपति द्वारा उसे समनुदेशित या प्रत्यायोजित किये जायें।

15. कुलसचिव.- 1) कुल-सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा। वह कुलपति के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा।

2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, कुल सचिव राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान राज्य की सेवाओं में के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

3) कुल सचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा। वह उसके समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं रखेगा जो उसका कार्य करने के लिए आवश्यक हों। वह विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करेगा और समस्त पाठ्यविषयों, पाठ्यक्रमों और ऐसी अन्य सूचनाओं का स्थायी अभिलेख रखेगा जो आवश्यक समझी जायें।

4) कुल -सचिव ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो कुलपति द्वारा समय-समय पर विहित किये जायें या जिनकी उससे अपेक्षा की जाये।

16. वित्त अधिकारी.- 1) वित्त अधिकारी , विश्वविद्यालय का मुख्य वित्त, लेखा और लेखापरीक्षा अधिकारी होगा। वह कुलपति के नियंत्रण के अधीन सीधे कार्य करेगा।

2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, वित्त अधिकारी राज्य सरकार द्वारा राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

3) वित्त अधिकारी -

- क) विश्व विद्यालय की वित्तीय नीति के संबंध में सलाह देगा और उसका बजट तैयार किये जाने और उसे कुलपति के माध्यम से बोर्ड के समक्ष रखे जाने के लिए उत्तरदायी होगा;
- ख) विश्वविद्यालय की जंगम और स्थावर सम्पत्तियों और विनिधानों का प्रबंध करेगा;
- ग) विश्वविद्यालय का कार्य करने के लिए अग्रदाय नकद जो कुलपति द्वारा विहित किया जायेगा) के रूप में आवश्यक रकम के सिवाय, विश्वविद्यालय की समस्त धनराशियों को किसी अनुसूचित बैंक में या राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड या सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक में रखेगा;
- घ) यह सुनिश्चित करेगा कि विश्व विद्यालय द्वारा, विनिधान से अन्यथा ऐसा कोई व्यय उपगत नहीं किया जाये जो बजट में प्राधिकृत नहीं किया गया हो;
- ङ) ऐसे किसी व्यय को नामंजूर करेगा जो किसी भी परिनियम के निबंधनों का उल्लंघन करता हो या जिसके लिए परिनियम द्वारा उपबंध किया जाना अपेक्षित है किन्तु नहीं किया गया है; और
- च) धारा 36 के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

17. परीक्षा नियंत्रक. - 1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति आर्डिनेन्सों में इस निमित्त किये गये उपबंधों के अनुसार बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा की जायेगी।

3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं रखने के लिए आबद्ध होगा जो उसका कामकाज करने के लिए आवश्यक हों। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन भी करेगा जो

विनियमों द्वारा विहित किये जायें या जिनकी बोर्ड या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये, किन्तु वह इस उप-धारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा।

4) कुलपति के अधीक्षण के अध्यक्षीन रहते हुए , परीक्षा नियंत्रक का परीक्षा पर प्रशासनिक नियंत्रण होगा और उसके अधीन कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों पर भी उसका प्रशासनिक नियंत्रण होगा और इस संबंध में उसे कुल-सचिव की समस्त शक्तियां होंगी ।

5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अध्यक्षीन रहते हुए , परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उनके लिए अन्य समस्त इंतजाम करेगा और उनसे संबंधित समस्त प्रक्रियाओं के सम्यक् निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

6) परीक्षा नियंत्रक को विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए राज्य सरकार के किसी आदेश के सिवाय न तो कोई पारिश्रमिक दिया जायेगा और न ही वह स्वीकार करेगा ।

7) जहां परीक्षा नियंत्रक किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो तो पद के समस्त कर्तव्य परीक्षा नियंत्रक के पुनः पद ग्रहण करने या यथास्थिति, रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा निष्पादित किये जायेंगे जो कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाये।

18. संकाय के संकायाध्यक्ष और उनके कृत्य.- 1) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा।

2) संकायों के संकायाध्यक्ष कुलपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किये जायेंगे जो विहित की जाये।

3) संकायाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन करेंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

19. सम्पदा अधिकारी और छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष.- 1) बोर्ड निम्नलिखित किसी भी एक या अधिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :-

क) सम्पदा अधिकारी , और

ख) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष।

2) सम्पदा अधिकारी विश्वविद्यालय के समस्त भवनों, लानों, उद्यानों और अन्य स्थावर सम्पत्ति का भारसाधक होगा।

3) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष के कर्तव्य निम्नलिखित होंगे , अर्थात्:-

क) छात्रों के आवासन का प्रबंध करना ;

ख) छात्रों को परामर्श देने के लिए कार्यक्रम निदिष्ट करना;

ग) कुलपति द्वारा अनुमोदित योजनाओं के अनु सार छात्रों के नियोजन के लिए व्यवस्था करना;

(घ) छात्रों के पाठ्येतर कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करना;

ङ) विश्व विद्यालयों के स्नातकों को नौकरी दिलाने में सहायता करना; और

च) विश्व विद्यालय के पूर्व छात्रों को संगठित करना और उनसे सम्पर्क बनाये रखना।

20. अन्य अधिकारी और कर्मचारी.- धारा 9 के खण्ड ज) में वर्णित अन्य अधिकारियों की और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और उनके कृत्य ऐसे होंगे जो इस अधिनियम में उपबंधित किये जायें या परिनियमों, आर्डिनेंसों और विनियमों द्वारा विहित किये जायें।

21. अधिकारियों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक.- विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को विश्वविद्यालय में किसी भी कार्य के लिए परिनियमों में जैसा उपबंधित किया जाये उसके सिवाय कोई भी पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह उसे स्वीकार करेगा।

अध्याय-4

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

22. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी.- विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:-

क) प्रबंध बोर्ड ;

(ख) विद्या परिषद;

- ग) वित्त समिति ;
घ) परीक्षा समिति ;
ङ) संकाय ;
च) अध्ययन बोर्ड;
छ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्व विद्यालय के प्राधिकारी होना घोषित किया जाये।

23. प्रबंध बोर्ड का गठन और संरचना. - 1) प्रबंध बोर्ड विश्वविद्यालय का उच्चतम कार्यपालक निकाय होगा और उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

I) अध्यक्ष - विश्वविद्यालय का कुलपति

II) पदेन सदस्य-

- क) प्रभारी शासन सचिव , वित्त विभाग,;
ख) प्रभारी शासन सचिव , चिकित्सा शिक्षा विभाग,;
ग) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार;
घ) विश्व विद्यालय का कुल-सचिव, सदस्य-सचिव;

स्पष्टीकरण-I.- क) से ख) में उल्लिखित पदेन सदस्यों में उनके संबंधित नामनिर्देशिती भी सम्मिलित होंगे जो शासन उप सचिव, राजस्थान की रैंक से नीचे के नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण-II.- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति [प्रभारी शासन सचिव] से विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह उस विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

III) नामनिर्देशित सदस्य-

- क) कुलपति द्वारा संकायों के संकायाध्यक्षों में से एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो व्यक्ति;

- ख) कुलपति द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित दो विश्वविद्यालय आचार्य;
- ग) कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद;
- घ) राज्य सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले, संबद्ध महाविद्यालयों के दो प्राचार्य, जिनमें से एक सरकारी महाविद्यालयों से और दूसरा प्राइवेट महाविद्यालयों से होगा;
- ङ) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले, राज्य विधान मण्डल के दो सदस्य; और
- च) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्देशित किये जाने वाले दो विख्यात शिक्षाविद।

IV) निर्वाचित सदस्य-

विश्वविद्यालय के और उसके घटक महाविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा अपने में से तीन वर्ष के लिए निर्वाचित किये जाने वाले, विश्वविद्यालय आचार्यों, संकायाध्यक्षों, विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के निदेशकों से भिन्न, विश्वविद्यालय या उसके घटक महाविद्यालयों के दो अध्यापक, जिन्हें जिस वर्ष में निर्वाचन करवाये जाते हैं, उससे ठीक पूर्ववर्ती वर्ष की एक जनवरी को राजस्थान में उच्चतर शिक्षा की किसी भी संस्था में अध्यापन का सात वर्ष से अन्यून का अनुभव हो।

2) बोर्ड के एक -तिहाई सदस्यों से बैठक के लिए गणपूर्ति होगी।

3) बोर्ड का अध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम में उपबंधित हैं या जो परिनियमों या विनियमों द्वारा विहित की जायें।

4) सदस्य किसी भी अतिरिक्त वेतन के बिना सेवा करेंगे किन्तु ऐसे दैनिक भते और यात्रा व्यय के हकदार होंगे जो विहित किये जायें।

5) बोर्ड की बैठक का कार्यवृत्त बोर्ड के सदस्य-सचिव द्वारा अभिलिखित और संधारित किया जायेगा।

24. बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य.- बोर्ड के कर्तव्य और कृत्य निम्नलिखित होंगे:-

- क) विश्व विद्यालय का बजट अनुमोदित और मंजूर करना;
- ख) विश्व विद्यालय की संपत्ति और निधियां अर्जित करना, व्ययनित करना, धारित करना और नियंत्रित करना और विश्वविद्यालय की ओर से कोई भी साधारण या विशेष निदेश जारी करना;
- ग) विश्व विद्यालय की ओर से किसी भी जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण स्वीकार करना;
- घ) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्व विद्यालय के व्ययनाधीन रखी गयी किन्हीं भी निधियों का प्रशासन करना;
- ङ) विश्वविद्यालय के धन का विनिधान करना;
- च) विश्वविद्यालय के शैक्षिक, प्रशासनिक और अन्य स्टाफ के सदस्यों की ऐसी रीति से नियुक्ति करना जो विहित की जाये;
- छ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के प्ररूप और उपयोग का निदेश देना;

- ज) स्थायी या अस्थायी ऐसी समितियों की नियुक्ति करना जिन्हें वह उसके उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे;
- झ) पूंजीगत सुधारों के लिए धन उधार लेना और उसके प्रतिसंदाय के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना;
- ञ) ऐसे समय पर और उतनी बार बैठकें करना जितनी वह आवश्यक समझे, परन्तु बोर्ड की नियमित बैठक प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक बार आयोजित की जायेगी;
- ट) विश्व विद्यालय के सुचारु कार्यकरण के लिए इस अधिनियम में विहित रीति से परिनियम, आर्डिनैस और विनियम बनाना; और
- ठ) विश्व विद्यालय से संबंधित समस्त मामलों का इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विनियमन और अवधारण करना और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम और परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किये जायें या उस पर अधिरोपित किये जायें।

25. विद्या परिषद्.- 1) विश्वविद्यालय की एक विद्या परिषद् होगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

- क) कुलपति -पदेन अध्यक्ष
- ख) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- ग) प्रत्येक संकाय से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक आचार्य;
- घ) किसी घटक महाविद्यालय का कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक प्राचार्य या निदेशक;
- ङ) प्रभारी शासन सचिव , चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान
- च) निदेशक , चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार;

- छ) अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष ;
- ज) संबद्ध महाविद्यालयों के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो प्राचार्य, जिनमें से एक सरकारी महाविद्यालयों से और दूसरा प्राइवेट महाविद्यालयों से होगा;
- झ) अध्ययन के क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी नहीं हों, जिनमें से एक कुलाधिपति द्वारा और दूसरा राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा;
- ञ) घट क महाविद्यालय या विश्वविद्यालय विभाग से कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले आचार्यों से भिन्न एक अध्यापक जिसे उपाधि या स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो;
- ट) संबद्ध महाविद्यालय से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले प्राचार्यों से भिन्न एक अध्यापक जिसे उपाधि या स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव हो; और
- ठ) विश्व विद्यालय का कुल-सचिव, सदस्य-सचिव।

स्पष्टीकरण:- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति [प्रभारी शासन सचिव] से विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह उस विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

2) नामनिर्देशित सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की होगी।

26. वित्त समिति.- 1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे -

- क) कुलपति ;
- ख) प्रभारी शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग;
- ग) प्रभारी शासन सचिव, वित्त विभाग;
- घ) प्रतिकुलपति , यदि कोई हो;

ड) कुल -सचिव;

च) परीक्षा नियंत्रक ;

छ) वित्त अधिकारी , जो समिति का सचिव भी होगा।

स्पष्टीकरण:- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति [प्रभारी शासन सचिव] से विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह उस विभाग का प्रभारी हो, सम्मिलित है।

2) उप -धारा 1) के खण्ड ख) या खण्ड ग) में निर्दिष्ट कोई सदस्य वित्त समिति की किसी भी बैठक में स्वयं उपस्थित होने के बजाय, अपनी ओर से कार्य करने के लिए ऐसे अधिकारी को नामनिर्देशित कर सकेगा जो शासन उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो।

3) वित्त समिति विश्वविद्यालय की संपत्ति और निधियों के प्रशासन से संबंधित मामलों पर बोर्ड को सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय और स्रोतों को ध्यान में रखकर आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए सीमाएं नियत करेगी और किन्हीं भी विशेष कारणों से, वित्तीय वर्ष के दौरान, इस प्रकार नियत सीमाओं का पुनरीक्षण कर सकेगी और नियत सीमाएं बोर्ड पर बाध्यकारी होंगी।

4) वित्त समिति को ऐसी अन्य शक्तियां और कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किये जायें या उस पर अधिरोपित किये जाये।

27. परीक्षा समिति.- 1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी, जिसका गठन ऐसा होगा जो आर्डिनेंसों में उपबंधित किया जाये।

2) समिति , अनुसूचन और सारणीकरण को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं का साधारणतया पर्यवेक्षण करेगी, और निम्नलिखित अन्य कृत्य करेगी, अर्थात्:-

क) परीक्षकों और अनुसूचकों की नियुक्ति करना और , यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;

- ख) विश्व विद्यालय परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनर्विलोकन करना और उस पर विद्या परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
- ग) परीक्षा प्रणाली के सुधार के लिए विद्या परिषद् को सिफारिशें करना;
- घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अंतिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परिणामों की घोषणा करना ।

3) परीक्षा समिति इतनी उप समितियां नियुक्त कर सकेगी जितनी वह उचित समझे और विशिष्टतया किसी भी एक या अधिक व्यक्तियों या उप-समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों के उपयोग से संबंधित मामलों पर कार्यवाही करने और उनका विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

4) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, परीक्षा समिति के लिए या, यथास्थिति, उप-समिति या किसी भी व्यक्ति के लिए, जिसे परीक्षा समिति ने उप-धारा 3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं, विश्वविद्यालय की भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी ऐसी किसी भी परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करने का दोषी है।

28. संकायों की संरचना और कृत्य.- 1) विश्वविद्यालय में इतने संकाय होंगे जितने परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

2) प्रत्येक संकाय निम्नलिखित से मिलकर बनेगा , अर्थात्:-

- क) संकाय का संकायाध्यक्ष-अध्यक्ष;
- ख) संकाय को समनुदेशित विषयों के विश्वविद्यालय आचार्य;
- ग) संकाय में अध्ययन बोर्डों के अध्यक्ष;
- घ) संबद्ध महाविद्यालयों से , राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित, एक स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्राचार्य

और संकाय के प्रत्येक विषय में एक स्नातकोत्तर विभागाध्यक्ष; और

ड) विद्या परिषद द्वारा नामनिर्देशित दो बाह्य विशेषज्ञ।

3) संकाय ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

29. विश्वविद्यालय का अध्यापन.- 1) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समस्त अध्यापन विश्वविद्यालय विभागों में या महाविद्यालयों, संस्थानों और संस्थाओं में संचालित किये जायेंगे।

2) ऐसे अध्यापन का संचालन करने के लिए उत्तरदायी प्राधिकारी ऐसे होंगे जो विहित किये जायें।

3) पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन और पाठ्यक्रम ऐसा होगा जो आर्डिनेंसों द्वारा और तदधीन रहते हुए, विनियमों द्वारा विहित किया जाये।

30. सदस्यता संबंधी अनुपूरक उपबंध.- 1) विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में हुई समस्त आकस्मिक रिक्तियां यथासंभव शीघ्र नियुक्ति, नामनिर्देशन या निर्वाचन द्वारा उसी प्रकार भरी जायेंगी जिस प्रकार वह सदस्य, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त, नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया था और आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त नामनिर्देशित या निर्वाचित व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का ऐसी अवशिष्ट कालावधि के लिए सदस्य होगा जिस अवधि के लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है, यदि स्थान रिक्त नहीं हुआ होता तो बना रहता।

2) कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय में कोई भी पद विश्वविद्यालय का कोई भी अन्य पद धारण करने के आधार पर या अन्यथा धारण करता है, ऐसा पद तब तक, जब तक कि वह अन्य पद धारण करता है, और तत्पश्चात् तब तक, धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी सम्यक् रूप से नामनिर्देशित नियुक्त या निर्वाचित नहीं कर दिया जाता है।

3) बोर्ड ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जो विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी नहीं हो, किसी भी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता से या विश्वविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को इस आधार पर हटा सकेगा कि

ऐसा व्यक्ति या कर्मचारी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध या विध्वंसक गतिविधियों में भाग लेने या विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा के लिए अशोभनीय किसी कार्य या कार्यों में भाग लेने के आधार पर सिद्धदोष ठहराया गया है:

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति या कर्मचारी को इस उप-धारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जायेगा जब तक कि उसे यह हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया गया हो कि उसे इस प्रकार क्यों नहीं हटा दिया जाना चाहिए और ऐसे हेतुक पर बोर्ड द्वारा विचार नहीं कर लिया गया हो:

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किसी सदस्य के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होगा।

4) यदि ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में, जो बोर्ड के अधीनस्थ विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी के सदस्य के रूप में नियुक्त, नामनिर्देशित या निर्वाचित किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है या इस अधिनियम और परिनियमों के अधीन बोर्ड के किसी भी विनिश्चय के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो मामला कुलाधिपति को, उसके विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

31. विश्वविद्यालय के किन्हीं भी प्राधिकारियों या निकायों की कार्यवाहियों का किसी भी रिक्ति के कारण अविधिमान्य नहीं होना.- विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही, उसके सदस्यों में किसी रिक्ति की विद्यमानता के कारण या ऐसे किसी व्यक्ति के कार्यवाहियों में भाग लेने के कारण, जो तत्पश्चात् ऐसा करने का हकदार नहीं पाया जाता है, अविधिमान्य नहीं होगी।

32. सेवानिवृत्ति की आयु.- परिनियमों में किसी भी प्रतिकूल उपबंध के या इस संबंध में राज्य सरकार के किन्हीं भी निदेशों या नीति के अध्यक्षीन रहते हुए विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी सामान्यतः साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होंगे।

33. पेंशन या भविष्य निधि.- 1) विश्वविद्यालय, अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिकवर्गीय स्टाफ और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, ऐसी पेंशन, उपदान, बीमा और भविष्य निधि का गठन करेगा जो वह उचित समझे।

2) परिणियमों में यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध किया जायेगा कि राज्य की सेवा में के नियोजन से स्थानान्तरित स्टाफ सदस्यों को ऐसे स्थानान्तरण पर संरक्षित उनके प्रोद्भूत सेवा फायदे मिलें।

34. विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी.- 1) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अधिकारियों की नियुक्ति, इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी नियुक्ति के लिए चयन) अधिनियम, 1974 1974 का अधिनियम सं. 18) के उपबंधों के अनुसार की जायेगी।

2) परिणियमों द्वारा उपबंधित मामलों के सिवाय, विश्वविद्यालय के अध्यापक और अधिकारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किये जायेंगे। संविदा संबंधित अध्यापक या अधिकारी को दी जायेगी। संविदा, सेवा की शर्तों के संबंध में इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त परिणियमों के उपबंधों से असंगत नहीं होगी।

35. विश्वविद्यालय निधि.- 1) विश्वविद्यालय “विश्वविद्यालय निधि” के नाम से एक निधि स्थापित, संधारित करेगा और उसका प्रबंध करेगा।

2) निम्नलिखित धनराशियां विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी, अर्थात्:-

- क) राज्य सरकार द्वारा कोई भी अंशदान या अनुदान ;
- ख) विश्व विद्यालय को समस्त स्रोतों से उद्भूत होने वाली आय जिसमें फीस और प्रभारों से आय सम्मिलित है;
- ग) न्यास, वसीयत, दान, विन्यास और अन्य अनुदान, यदि कोई हो; और

घ) ऐसी अन्य धनराशियां जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें।

3) ऐसे मामले , जिनमें विश्वविद्यालय निधि उपयोजित और विनियोजित की जायेगी, ऐसे होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

4) इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के अधीन और उसके अनुसरण में उपगत होने वाले समस्त व्ययों की पूर्ति विश्वविद्यालय निधि में से की जायेगी ।

5) विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय संपत्तियों को प्रतिभूति पर और राज्य सरकार की सहमति से, विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए धन उधार लेने की शक्ति होगी।

36. राज्य सरकार का नियंत्रण.- जहां राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वलित हैं वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संलग्न निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित हो सकती, अर्थात:-

- (क) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन;
- (ख) अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षण;
- (ग) अपने किन्हीं भी अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों को किसी भी अतिरिक्त या विशेष वेतन, भत्ते या किसी भी प्रकार के किसी अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक, जिसमें वित्तीय विवक्षा रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदा सम्मिलित है, की मंजूरी;
- (घ) किसी भी निश्चित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गयी थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;
- (ङ) स्थावर संपत्ति का विक्रय, पट्टा, बंधक द्वारा या अन्यथा अंतरण;

- (च) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी हैं, से भिन्न प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करना;
- (छ) संबद्ध महाविद्यालयों के बारे में ऐसा कोई भी विनिश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व बढ़ जाये।

स्पष्टीकरण.- पूर्वोक्त शर्तें किसी भी अन्य निधि से सृजित पदों के संबंध में भी लागू होंगी जिनसे राज्य सरकार पर दीर्घकाल में वित्तीय विवक्षाएं होने की संभावना है।

37. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा.- यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो यह अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निदेश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।

38. परिनियम.- इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, परिनियमों में किसी भी मामले के लिए उपबंध किया जा सकेगा और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जायेगा, अर्थात् :-

- क) विश्व विद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य;
- (ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों की नियुक्ति, नामनिर्देशन या निर्वाचन और उनके पद पर बने रहने और इन प्राधिकारियों से सापेक्ष ऐसे समस्त अन्य मामले, जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;
- (ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदनाम, नियुक्ति की रीति, शक्तियां, कर्तव्य और सेवा शर्तें;
- (घ) अध्यापकों का वर्गीकरण और उनकी नियुक्ति की रीति और उनकी सेवा शर्तें और अर्हताएं;

- (ड) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन, उपदान, बीमा और भविष्य निधियों का गठन;
- च) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;
- (छ) विभागों की स्थापना, समामेलन, उप-विभाजन और समाप्ति;
- (ज) विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों की स्थापना और समाप्ति;
- (झ) ऐसी धनराशियां जो विश्वविद्यालय निधि का भाग होंगी और उसमें संदत्त की जायेंगी और ऐसे मामले जिनमें निधि उपयोजित और विनियोजित की जा सकेगी;
- ञ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की संख्या और उनकी परिलब्धियां, और उनकी सेवाओं और कार्यकलापों का अभिलेख तैयार करना और रखना;
- (ट) विश्वविद्यालय के कारबार में नियोजित व्यक्तियों को संदत्त किये जाने वाले पारिश्रमिक और भत्ते, जिनमें यात्रा और दैनिक भत्ते भी सम्मिलित हैं; और
- (ठ) ऐसे अन्य समस्त मामले जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबंध किये जाने की अपेक्षा की गयी है या उपबंध किया जा सकेगा या परिनियमों द्वारा विहित किये जा सकेंगे।

39. परिनियम कैसे बनाये जायेंगे.- 1) परिनियम बोर्ड द्वारा, इसमें आगे उपबंधित रीति से बनाये, संशोधित और निरसित किये जा सकेंगे।

(2) बोर्ड किसी परिनियम के प्रारूप पर या तो स्वप्रेरणा से या विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव किये जाने पर, विचार कर सकेगा ।

(3) बोर्ड, यदि यह आवश्यक समझे तो किसी प्रारूप परिनियम के बारे में, जो उसके समक्ष विचार के लिए है, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय की राय भी अभिप्रास कर सकेगा।

4) बोर्ड द्वारा पारित किया गया प्रत्येक परिनियम कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा या उसे रोक सकेगा या उसे बोर्ड के पास पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकेगा।

(5) बोर्ड द्वारा पारित किया गया कोई भी परिनियम तब तक विधिमान्य या प्रवृत्त नहीं होगा जब तक कि कुलाधिपति द्वारा अनुमति न दे दी जाये।

6) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होने पर भी, कुलाधिपति, या तो स्वप्रेरणा से या राज्य सरकार की सलाह पर उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी भी मामले के बारे में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा और यदि बोर्ड ऐसे किसी निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर-भीतर क्रियान्वित करने में असफल रहता है तो कुलाधिपति, बोर्ड द्वारा ऐसे निदेश का पालन करने में उसकी असमर्थता के लिए संसूचित कारणों, यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात्, परिनियम बना सकेगा या उन्हें समुचित रूप से संशोधित कर सकेगा।

40. आर्डिनेन्स.- इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, आर्डिनेन्सों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं भी मामलों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

- (क) पाठ्यक्रम, छात्रों का प्रवेश या नामांकन, किसी भी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अध्येतावृत्ति के लिए अपेक्षित फीस, अर्हताएं या शर्तें;
- (ख) परीक्षकों की नियुक्ति और उनके निबंधनों और शर्तों को सम्मिलित करते हुए परीक्षाओं का संचालन;
- (ग) विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जाने वाले या संधारित किसी छात्रावास या निवास के अन्य स्थान में निवास करने के लिए शर्तें, उनके लिए, प्रभारों का उद्ग्रहण और अन्य संबंधित मामले;

- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा न चलाये या संधारित न किये जाने वाले छात्रावासों को मान्यता और उनका पर्यवेक्षण; और
- (ङ) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अपेक्षित कोई भी अन्य मामला जिस पर विश्वविद्यालय के आर्डिनेन्सों के द्वारा या अधीन कार्यवाही की जानी है।

41. आर्डिनेन्स कैसे बनाये जायेंगे.- 1) बोर्ड इसमें इसके आगे उपबंधित रीति से आर्डिनेन्स बना, संशोधित या निरसित कर सकेगा।

(2) बोर्ड द्वारा शैक्षिक मामलों से संबंधित कोई भी आर्डिनेन्स तब तक नहीं बनाया जायेगा जब तक कि उसका कोई प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया हो।

(3) बोर्ड को उप-धारा 2) के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी भी प्रारूप में संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे भागतः या पूर्णतः नामंजूर कर सकेगा या ऐसे किन्हीं भी संशोधनों के साथ, जिनका प्रबंध बोर्ड सुझाव दे, पुनर्विचार के लिए विद्या परिषद् को लौटा सकेगा ।

(4) बोर्ड द्वारा बनाये गये समस्त आर्डिनेन्स ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जो वह निदिष्ट करे, किन्तु इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक आर्डिनेन्स दो सप्ताह के भीतर-भीतर कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा। कुलाधिपति को आर्डिनेन्स की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर-भीतर, उसके प्रवर्तन को निलंबित करने का बोर्ड को निदेश देने की शक्ति होगी और वह यथासंभव शीघ्र उस पर अपने आक्षेप के बारे में बोर्ड को सूचित करेगा। वह प्रबंध बोर्ड को टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात्, या तो आर्डिनेन्स को निलंबित करने वाला आदेश वापस ले सकेगा या आर्डिनेन्स को अननुज्ञात कर सकेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

42. विनियम.- 1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी इस अधिनियम और परिनियमों और आर्डिनेन्सों से संगत विनियम निम्नलिखित के लिए बना सकेगा :-

- (क) अपनी बैठकों में अनुमानित की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करने;
- (ख) ऐसे समस्त मामलों के लिए उपबंध करने जिनके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या आर्डिनेन्सों के द्वारा उस प्राधिकारी द्वारा विनियमों द्वारा उपबंध किये जाने हैं; और
- ग) ऐसे किसी भी अन्य मामले के लिए उपबंध करने जो केवल ऐसे प्राधिकारी से संबंधित हो और जिसके लिए इस अधिनियम और परिनियमों या आर्डिनेन्सों द्वारा उपबंध नहीं किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों को बैठकों की तारीखों का और उन बैठकों में किये जाने वाले कार्यों का नोटिस देने के लिए और बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए उपबंध करते हुए विनियम बनायेगा।

(3) बोर्ड इस धारा के अधीन विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा बनाये गये किन्हीं भी विनियमों में ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन करने के लिए या उनके बातिलकरण के लिए निदेश दे सकेगा।

43. छात्रों का निवास स्थान.- छात्र, विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी या कुलपति द्वारा अनुमोदित वास सुविधा में विहित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, निवास करेंगे।

44. शक्तियों का प्रत्यायोजन.- बोर्ड इस अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त कोई भी शक्ति किसी भी अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जायें, प्रयोग में लाये जाने के लिए प्रत्यायोजित कर सकेगा।

45. वार्षिक रिपोर्ट.- विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कुलपति के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी और बोर्ड के सदस्यों में बोर्ड की वार्षिक बैठक, जिसमें उस पर विचार किया जाना है, के एक मास पूर्व प्रचालित की जायेगी। बोर्ड द्वारा यथा-अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट राज्य

विधान मण्डल के सदन के पटल पर रखे जाने के लिए राज्य सरकार को भेजी जायेगी।

46. लेखे और संपरीक्षा.- 1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कुलपति के निदेश के अधीन, वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां और संवितरित या संदत्त समस्त रकमों की प्रविष्टि लेखाओं में की जायेगी।

(2) ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा ऐसी रीति से और ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी जिनका राज्य सरकार निदेश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा।

3) संपरीक्षित होने पर लेखे मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियाँ, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, कुलपति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायेंगी जो उन्हें ऐसी टिप्पणियों सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

47. अस्थायी व्यवस्था.- 1) इस अधिनियम का प्रारंभ होने के पश्चात् किसी भी समय और ऐसे समय तक, जब तक विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का सम्यक रूप से गठन नहीं हो जाता, विश्वविद्यालय के किसी भी अधिकारों को ऐसे किसी भी प्राधिकारी के कर्तव्यों का पालन करने के लिए, कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) कुलपति अस्थायी नियुक्तियां, ऐसी नियुक्तियां करने के पश्चात् होने वाली बोर्ड की आगामी बैठक में, बोर्ड के अनुमोदन के अध्यक्षीन रहते हुए, कर सकेगा।

48. पदनाम में परिवर्तन की दशा में सरकारी अधिकारियों के प्रति निर्देश का अर्थ तत्समान अधिकारियों के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाना.- जहां इस अधिनियम के या परिनियमों, आर्डिनेन्सों या विनियमों के किसी भी उपबंध में राज्य सरकार के किसी अधिकारी का

निर्देश पदनाम से हो वहां, यदि वह पदनाम परिवर्तित कर दिया जाता है या वह पद अस्तित्वहीन हो जाता है तो, उक्त निर्देश का अर्थ परिवर्तित पदनाम या, यथास्थिति, ऐसे तत्समान अधिकारी, जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे, के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा।

49. अवशिष्ट उपबंध.- बोर्ड को ऐसे किसी भी मामले पर कार्यवाही करने का प्राधिकार होगा जो विश्वविद्यालय से संबंधित हो और जिसके संबंध में इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है। ऐसे समस्त मामलों पर बोर्ड का विनिश्चय कुलाधिपति द्वारा पुनरीक्षण के अध्यक्षीन रहते हुए अंतिम होगा।

50. कठिनाइयों का निराकरण.- 1) राज्य सरकार इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र और मामलों में किन्हीं भी कठिनाइयों के निराकरण के प्रयोजन के लिए राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा,-

- (क) निदेश दे सकेगी कि यह अधिनियम ऐसी कालावधि के दौरान, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के, जो चाहे उपान्तरण, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, और जो इस अधिनियम से संगत हों, अध्यक्षीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार आवश्यक या समीचीन होना ठीक समझे, प्रभावी होगा; या
- (ख) ऐसे निदेश दे सकेगी, जो उसे ऐसी कठिनाइयों, जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भूत हों, के निराकरण के लिए आवश्यक प्रतीत हों;
- (ग) ऐसी किन्हीं भी कठिनाइयों का निराकरण करने के प्रयोजन के लिए ऐसे अन्य अस्थायी उपबंध कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन होना ठीक समझे:
परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से बारह मास के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उप-धारा 1) के अधीन किये गये समस्त आदेश राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष चौदह दिन की ऐसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी आदेशों में कोई उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई आदेश नहीं किये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे आदेश केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी भी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

(3) यदि इस अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं भी परिनियमों या आर्डिनेन्सों या विनियमों के किन्हीं भी उपबंधों के निर्वचन के संबंध में या इस संबंध में आया कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी या अन्य निकाय का सम्यक् रूप से सदस्य नियुक्त किया गया है या होने का हकदार है, कोई भी प्रश्न उद्भूत होता है तो मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा और यदि कुलपति, और बोर्ड के कोई भी दस सदस्य ऐसी अपेक्षा करें तो, निर्देशित किया जायेगा। कुलाधिपति राज्य सरकार से ऐसी सलाह लेने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य होने और राज्य में चिकित्सा महाविद्यालयों की बढ़ती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए और राज्य के पश्चिमी भाग में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा और उच्च स्तरीय अनुसंधान की बेहतर सुविधाएं भी सुनिश्चित करने के लिए तथा बजट सत्र 2023-24 में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन के लिए, जोधपुर में “मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय” के नाम से एक नया चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

परसादी लाल,
प्रभारी मंत्री।

वित्तीय ज्ञापन

मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 जोधपुर में “मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय” की स्थापना के लिए उपबंध करता है। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उपगत किये जाने वाले आवर्ती और अनावर्ती व्यय की गणना कर ली गयी है। तदुसार, अवसंरचना की स्थापना और संनिर्माण के लिए अनावर्ती व्यय के रूप में पांच सौ करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और विश्वविद्यालय को चलाने के लिए आवर्ती व्यय के रूप में प्रति वर्ष दो करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जिसमें समय के साथ वृद्धि हो सकती है।

परसादी लाल,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 38, 40 और 42, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो विश्वविद्यालय या इसके प्राधिकारियों को उक्त खण्डों में प्रगणित मामलों के संबंध में क्रमशः परिनियम, आर्डिनेन्स और विनियम बनाने के लिए सशक्त करेंगे।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

परसादी लाल,
प्रभारी मंत्री।

(Authorised English Translation)

THE MARWAR MEDICAL UNIVERSITY BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

*A**Bill**to establish and incorporate the Marwar Medical University at Jodhpur in the State of Rajasthan.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

**CHAPTER-I
Preliminary****1. Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Marwar Medical University Act, 2023.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.- In this Act, unless the subject or context otherwise requires:-

- (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University as constituted under section 25;
- (b) "affiliated college" means an educational institution admitted to the privileges of the University;
- (c) "Board" means the Board of Management of the University constituted under section 23;
- (d) "constituent college" means a college maintained by the University;
- (e) "Faculty" means a Faculty of the University;
- (f) "prescribed" means prescribed by the Statutes;
- (g) "Principal" means the Chief Executive Officer of a college or any person duly appointed to act as such;
- (h) "resident" means a student of post-graduate diploma, or post-graduate or super-specialty courses of the Medical Colleges;

- (i) “Statutes”, “Ordinances” and “Regulations” means, respectively, the Statutes, Ordinances and Regulation of the University made under this Act;
- (j) “student of the University” means a person enrolled in the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction duly instituted;
- (k) “teacher” means a person appointed or recognized by the University for the purpose of imparting instruction or conducting and guiding research and includes a person who may be declared by the Statutes to be a teacher;
- (l) “University” means the Marwar Medical University, established and incorporated under this Act;
- (m) “University Department” means a Department maintained by the University.

CHAPTR-II

The University

3. Incorporation of the University.- (1) The Chancellor and the first Vice-Chancellor of the University and the first members of the Board and the Academic Council and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, will constitute a body corporate by the name of “The Marwar Medical University”, and shall have perpetual succession and a common seal and may by that name sue and be sued.

(2) The University shall be competent to acquire and hold property, both movable and immovable, to lease, sell or otherwise transfer or dispose of any movable or immovable property, which may vest in or be acquired by it for the purposes of the University, and to contract and do all other things necessary for the purposes of this Act:

Provided that no such lease, sale or transfer of such property shall be made without the prior approval of the State Government.

(3) The Headquarters of the University shall be at Jodhpur, which shall be the headquarters of the Vice-Chancellor.

4. Objects of the University.- The following shall be objects of the University, namely:-

- (a) to disseminate recent advances and knowledge,

- promote research and development in field of medical and health sciences;
- (b) to act as resource centre for health planning, health management, hospital management, health policy, bio-medical engineering, health financing, biostatistics, health disaster and epidemic management and mitigation;
 - (c) to help prevention, promotion and management of various health ailments at individual and community level;
 - (d) to provide a platform, establish, develop and nurture medical and health institutions including multi-specialty hospitals, referral health centres, health centres, health care facilities at primary, secondary and tertiary health care system and upgrading existing institutions as centre of excellence;
 - (e) to treat, manage, rehabilitate patients in health care facilities and develop standard protocol for the prevention, control, treatment, management and rehabilitation of the patients;
 - (f) to establish and promote development of institutions in nursing, paramedical, physiotherapy, pharmacy and other allied health subjects;
 - (g) to establish, develop and manage health care facilities including research institutions laboratories, diagnostic centres and rehabilitation and occupational therapy centres;
 - (h) to establish and promote e-health including Integrated Health Management and Information System, (IHMS), telemedical and e-learning and distant education and management of teaching institutions;
 - (i) to establish and promote use of robotics, modern sophisticated techniques in prevention, control, treatment and rehabilitation of patients;
 - (j) to establish centre of excellence in bio-medical research, medical education and health technology , epidemiology and public health.
 - (k) to establish and develop centres and institutions for public health engineering, environmental sciences, food and nutrition;

- (l) to establish and develop institutions for genetic research, molecular biology, nuclear medicine, transfusion medicine, haematology and immunology, organ transplantation, robotic surgery, bio-information and other fields in medicine and dentistry;
- (m) to establish and promote centres for reproductive and child health, population control and medical-social sciences; and
- (n) to establish a centre for imparting training to teachers in all health and allied health subject.

5. Powers and duties of the University.- The University shall have following powers and duties, namely:-

- (a) to institute teaching, training and research in such branches of medicine, health and dentistry as the University may think fit, and to make provisions for evidence and research based up-dation, conducting research and dissemination of such knowledge;
- (b) to institute and award degrees, diplomas, certificates, fellowships and other academic distinctions;
- (c) to admit, register and enrol students to the course of studies of the University and conduct examinations or test and lay down conditions and protocols in respect thereof;
- (d) to hold examinations for and to grant and confer degrees, diplomas, certificate courses and other academic distinctions to and on persons, who-
 - (i) have pursued a course of study in the University, constituent or affiliated colleges; or
 - (ii) have carried on research in the University, constituent or affiliated colleges;
- (e) to confer honorary degree or other academic directions in the manner and under conditions laid down in the statutes;
- (f) to grant such diplomas, to provide such lectures and instruction for, persons, not being students of the University, as the University may determine;
- (g) to cooperate or collaborate with other Universities and authorities in such a manner and for such purposes, as the University may determine;

- (h) to institute and award scholarship, fellowship (including travelling fellowship), studentship, stipend, medals and prizes in accordance with the statutes and ordinances;
- (i) to recognize for the purposes of admission to a course of study for a degree or diploma, as equivalent to its own degree, any degree or diploma conferred by any other University;
- (j) to establish, maintain, develop and administer institutes of research, hospitals, laboratories, libraries, or other facilities necessary to carry out the objects of the University;
- (k) to establish, maintain, develop and administer hostels and residential places of students and teachers;
- (l) to fix and collect fees and other charges in accordance with the Ordinances;
- (m) to supervise and control the residents and to regulate the disciplines of the students of the University and to make arrangements for the promotion of their health;
- (n) to create teaching, administrative, ministerial and other administrative posts required by the University and to make appointments thereto;
- (o) to undertake publication work, research and merit;
- (p) to provide management, treatment and rehabilitation services to the patients in its hospitals;
- (q) to recognize and decide course curriculum, protocols, examination pattern, resources required in terms of manpower, equipments and infrastructure of any course of study for degree, diploma, certificate course, fellowship and other academic distinctions;
- (r) to provide affiliation and charge fee from the institutions granting course of study for degree, diploma, certificate course, fellowship and other academic institutions; and
- (s) to do all such acts and things whether incidental to the powers aforesaid or not, as may be required in order to further the objects of the University.

6. Jurisdiction.- (1) Notwithstanding anything contained in the Rajasthan University of Health Sciences Act, 2005 (Act No. 1 of 2005) or any other law for the time being in force, the

territorial jurisdiction of the University shall extend to the Medical, Dental, Pharmacy and Nursing Colleges, imparting education in these disciplines and any other disciplines of health sciences and also to its constituent, affiliated or autonomous colleges and to such other colleges, institutes, institutions and departments within the State of Rajasthan as may be specified by notification in the Official Gazette by the State Government.

- (2) The State Government may, by order in writing,-
- (a) require any institute, institution or college within the territorial limits of the University to terminate, with effect from such date as may be specified in the order, its association with, or its admission to the privileges of any other University incorporated by law to such extent as may be considered necessary and proper, or
 - (b) exclude, to such extent as may be considered necessary and proper, from association with, or from admission to the privileges of the University constituted by this Act any institute, institution or college specified in the order which, in the opinion of the State Government, is required to be self governing or to be associated with or admitted to the privileges of, any other University or body.

(3) The State Government may, in consultation with the University by notification published in the Official Gazette, enumerate any Government college situated in the jurisdiction of the University to be a constituent college of the University. The land, buildings, laboratories, equipments, books and any other properties of such college shall then vest in the University and the officers, teachers and employees of such college, after being found suitable through screening and on fulfilling, such terms and conditions as may be laid down in the notification, shall be deemed to be the officers, teachers or as the case may be employees of the University.

7. University to be open to all classes and creeds.- The University shall be Open to all persons irrespective of race, class, creed or sex:

Provided that the University may,-

- (a) restrict the eligibility of admission to the courses of

study of the University,

- (b) make reservations in favor of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, girl students and other categories in accordance with any law or order of the State Government for the time being in force.

8. Visitation.- (1) The Chancellor shall have the right to cause an inspection, to be made by such person or persons as he or she may direct-

- (a) of the University, its buildings, laboratories, libraries, museums, workshops and equipment ; or
- (b) of any college, institute, institution or hostel maintained by the University; or
- (c) of the teaching and other work conducted or done by the University; or
- (d) of the conduct of any examination held by the University.

(2) The Chancellor shall also have the right to cause an inquiry to be made by such person or persons as he or she may direct in respect of any matter connected with the University.

(3) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his or her intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall be entitled to be represented at such inspection or inquiry.

(4) The Chancellor shall communicate to the University his or her views with reference to the result of such inspection or inquiry and may, after ascertaining the opinion of the University thereon, advise the University upon the action to be taken and fix a time limit for taking such action.

(5) The University shall, within the time limit so fixed, report to the Chancellor, the action taken or proposed to be taken on the advice tendered by the Chancellor.

(6) If the University does not take action within the time limit fixed, or if the action taken by the University is, in the opinion of the Chancellor, not satisfactory, the Chancellor may, after considering any explanation offered or representation made by the University, issue such direction as he or she may deem fit and the University shall comply with such direction.

(7) If the University does not comply with such direction issued as per sub-section (6) within such time as may be

fixed in that behalf by the Chancellor, the Chancellor shall at his or her discretion have power to appoint any person or body to implement such direction and make such order as may be necessary for the expenses thereof.

CHAPTER-III **Officers of the University**

9. Officers of the University.-The following shall be the officers of the University, namely:-

- (a) the Chancellor;
- (b) the Vice-Chancellor;
- (c) the Pro Vice-Chancellor;
- (d) the Registrar;
- (e) the Finance Officer;
- (f) the Controller of Examinations;
- (g) the Deans of the Faculties;
- (h) the Dean of the Students Welfare;
- (i) the Estate Officer; and
- (j) such others as may be declared by the Statutes to be officers of the University.

10. The Chancellor.- (1) The Governor shall be the Chancellor of the University. He shall, by virtue of his office, be the Head of the University and shall, where present, preside at the convocations thereof.

(2) Every proposal for the conferment of any honorary degree shall be subject to the confirmation by the Chancellor.

(3) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to furnish such information or records relating to the administration of the affairs of the University as the Chancellor may call for.

(4) The Chancellor shall have such other powers as may be conferred on him by this Act or the Statutes or the Ordinances made thereunder.

11. The Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole time paid officer of the University.

(2) No person shall be eligible to be appointed as Vice-Chancellor unless he or she is, a distinguished academician in the field of Medical Education having a minimum of ten years experience as Professor in a recognized Medical College or Institute or University established by law or ten years experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic

administrative organization in the field of Medical Sciences and, of highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment.

(3) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government from amongst the persons included in the panel recommended by the Search Committee consisting of -

- (a) one person nominated by the Board;
- (b) Director General, Indian Council of Medical Research or his nominee;
- (c) one person nominated by the Chancellor; and
- (d) one person nominated by the State Government, and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of the Committee.

(4) An eminent person in the sphere of Medical Education not connected with the University and its colleges shall only be eligible to be nominated as the member of the Search Committee.

(5) The Search Committee shall prepare and recommend a panel of not less than three persons and not more than five persons to be appointed as Vice-Chancellor.

(6) For the purpose of selection of the Vice-Chancellor, the Search Committee shall invite applications from eligible persons through a public notice and while considering the names of persons to be appointed as Vice-Chancellor, the Search Committee shall give proper weightage to academic excellence, exposure to the Medical Education system in the country, and adequate experience in academic and administrative governance and record its findings in writing and enclose the same with the panel to be submitted to the Chancellor.

(7) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be five years from the date on which he or she enters upon his or her office or until he or she attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(8) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In

addition to it, he or she shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.

(9) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his or her death, resignation, removal or the expiry of his or her term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (3), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him or her under and in accordance with sub-section (10).

(10) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (9), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on of the function of the office of the Vice-Chancellor by any other Vice-Chancellor of a State University.

(11) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he or she wishes to be relieved, his or her resignation to the Chancellor.

(12) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

(13) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he or she may continue to contribute to the provident fund of which he or she was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.

(14) Where the Vice-Chancellor had been in his or her previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.

(15) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.

(16) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-

(a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and

(b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.

12. Removal of Vice-Chancellor.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act, if at any time, on the report of the State Government or otherwise, in the opinion of Chancellor, the Vice-Chancellor wilfully omits or refuses to carry out the provisions of this Act or abuses the powers vested in him or if otherwise appears to the Chancellor that the continuance of the Vice-Chancellor in office is detrimental to the interest of the University, the Chancellor may, in consultation with the State Government, after making such inquiry as he deems proper, by order, remove the Vice-Chancellor:

Provided that the Chancellor may, in consultation with the State Government, at any time before making such order, place the Vice-Chancellor under suspension, pending inquiry:

Provided further that no order shall be made by the Chancellor unless the Vice-Chancellor has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him.

(2) During the pendency, or in contemplation, of any inquiry referred to in sub-section (1) the Chancellor may, in consultation with the State Government, order that till further order

- (a) such Vice-Chancellor shall refrain from performing the functions of the office of the Vice-Chancellor, but shall continue to get the emoluments to which he was otherwise entitled;
- (b) the functions of the office of the Vice-Chancellor shall be performed by the person specified in the order.

13. Powers and duties of the Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall, in the absence of the Chancellor preside at the convocations of the University.

(2) The Vice-Chancellor shall be *ex-officio* Chairman of the Board and Academic Council.

(3) The Vice-Chancellor shall be responsible for presenting to the Board for its deliberations and consideration

matters of concern to the University. He shall have power to convene the meetings of the Board and the Academic Council.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall be responsible for the due maintenance of discipline in the University.

(5) The Vice-Chancellor shall ensure the faithful observance of the provisions of this Act and the Statutes and the Ordinances and shall possess all such powers as may be necessary for the purpose.

(6) In an emergency, which in the opinion of the Vice-Chancellor requires immediate action to be taken, he shall take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity report the action taken to the officer, authority or other body who or which in the ordinary course would have dealt with the matter.

(7) Where any action taken by the Vice-Chancellor under sub-section (6) affects any person in the service of the University to his disadvantage, such person may prefer an appeal to the Board within thirty days from the date on which the action is communicated to him.

(8) Subject as aforesaid, the Vice-Chancellor shall give effect to the orders of the Board regarding the appointment, suspension and dismissal of officers, teachers and other employees of the University.

(9) The Vice-Chancellor shall be responsible for close coordination and integration of teaching, research and other work and shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statutes or Ordinances.

14. The Pro Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor, if he considers necessary, may appoint a Pro Vice-Chancellor form amongst the professors of the University.

(2) The Pro Vice-Chancellor appointed under sub-section (1) shall discharge the duties in addition to his duties as a professor.

(3) The Pro Vice-Chancellor shall hold office at the pleasure of the Vice- chancellor.

(4) The Pro Vice-Chancellor shall get an honorarium of rupees one thousand per month.

(5) The Pro Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters, as may be specified by the

Vice-Chancellor in this behalf, from time to time and shall preside over the meetings of the University in the absence of the Vice-Chancellor and shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned or delegated to him by the Vice-chancellor.

15. Registrar.- (1) The Registrar shall be the whole time officer and shall be the Chief Administrative Officer of the University. He shall work directly under the superintendence, direction and control of the Vice-Chancellor.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the Registrar shall be appointed by the State Government on deputation from amongst the officers in the services of the State of Rajasthan.

(3) The Registrar shall be responsible for the custody of the records and the common seal of the University. He shall be *ex-officio* secretary of the Board and Academic Council. He shall place before it all such information as may be necessary for the transaction of its business. He shall receive applications for entrance to the University and shall keep a permanent record of all syllabi, curricula and such other information as may be deemed necessary.

(4) The Registrar shall perform such other duties as may be prescribed or required of him from time to time by the Vice-Chancellor.

16. Finance Officer.- (1) The Finance Officer shall be the principal finance, accounts and audit officer of the University. He shall work directly under the control of the Vice-Chancellor.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, the Finance Officer shall be appointed by the State Government on deputation from amongst the officers of the Rajasthan Accounts Service.

(3) The Finance Officer shall-

- (a) advise in regard to the financial policy of the University and be responsible for the preparation of its budget and for the presentation thereof to the Board through the Vice-Chancellor;
- (b) manage the properties, movable and immovable and investment of the University;
- (c) keep all moneys belonging to the University in a

Scheduled Bank or in the Rajasthan State Co-operative Bank Ltd. or Central Co-operative Bank except the amounts needed as imprest cash (to be specified by the Vice- chancellor) in transacting business of the University;

- (d) ensure that no expenditure not authorized in the budget is incurred by the University otherwise than by way of investment;
- (e) disallow any expenditure which may contravene the terms of any Statute or for which provision is required to be made by a Statute but has not been made; and
- (f) ensure the compliance of the provisions of section 36.

17. The Controller of Examinations.- (1) The Controller of Examinations shall be a whole-time officer of the University.

(2) The Controller of Examination shall be appointed by the Vice-Chancellor in accordance with the provision of the Ordinances made in this behalf with approval of the Board.

(3) The Controller of Examination shall be responsible for the due custody of the records pertaining to his work. He shall be *ex-officio* secretary of the Examinations Committee of the University and shall be bound to place before such committee all such information as may be necessary for the transaction of its business. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Regulations or as may be required from time to time, by the Board or the Vice-Chancellor but he shall not by virtue of this sub-section, be entitled to vote.

(4) Subject to the superintendence of the Vice-Chancellor, the Controller of Examinations shall have administrative control of examinations and shall also have administrative control over the employees working under him and have, in this regard, all the powers of the Registrar.

(5) Subject to the superintendence of the Examinations committee, the Controller of Examinations shall conduct the examinations and make all other arrangements therefor and be responsible for the due execution of all processes connected therewith.

(6) The Controller of Examinations shall neither be

offered nor accept any remuneration for any work in the University except in accordance with an order of the State Government.

(7) Where the Controller of Examinations is, for any reason, unable to act or the office of the Controller of Examinations is vacant, all the duties of the office shall be performed by such person as may be appointed by the Vice-Chancellor, until the Controller of examinations resumes his duties or, as the case may be, the vacancy is filled.

18. Deans of faculties and their functions.- (1) There shall be a Dean of each Faculty.

(2) The Deans of Faculties shall be appointed by the Vice-Chancellor in such manner as may be prescribed.

(3) The Deans shall perform such functions as may be prescribed by the Statutes.

19. Estate Officer and Dean of Students Welfare.- (1) The Board may appoint any one or more of the following officers, namely:-

- (a) the Estate Officer, and
- (b) the Dean of Students Welfare.

(2) The Estate Officer shall be in charge of all the buildings, lawns, gardens and other immovable property of the University.

(3) The Dean of Students Welfare shall have the following duties, namely:-

- (a) to make arrangements of the housing of students;
- (b) to direct a programme of students counselling;
- (c) to arrange for employment of students in accordance with plans approved by the Vice-Chancellor;
- (d) to supervise the extra-curricular activities of the students;
- (e) to assist in the placement of the graduates of the University; and
- (f) to organize and maintain contact with the alumni of the University.

20. Other officers and employees.-The mode of appointment and the functions of other officers mentioned in clause (j) of section 9 and of the employees of the University shall be such as are provided in this Act or as may be prescribed by the

Statutes, Ordinances and Regulations.

21. Remuneration of officers and employees.- No officer or employee of the University shall be offered nor shall he accept any remuneration for any work in the University saves as may be provided for in the statute.

CHAPTER-IV

Authorities of the University

22. Authorities of the University.- The following shall be the authorities of the University, namely:-

- (a) the Board of Management;
- (b) the Academic Council;
- (c) the Finance Committee;
- (d) the Examination Committee;
- (e) the Faculties;
- (f) Board of Studies;
- (g) such other authorities as may be declared by the Statutes to be authorities of the University.

23. Constitution and composition of the Board of Management.- (1) The Board of Management shall be the highest executive body of the University and shall consist of the following members, namely :-

- (I) **Chairman-** the Vice-Chancellor of the University
- (II) **Ex-Officio Member-**
 - (a) the Secretary to the Government in-charge of the Department Finance;
 - (b) the Secretary to the Government in-charge of the Department of Medical Education;
 - (c) the Director of Medical Education, Government of Rajasthan;
 - (d) the Registrar of the University-Member-Secretary;

Explanation-I.- Ex-officio members mentioned at (a) to (b) shall include their respective nominees who shall not be below the rank of Deputy Secretary to the Government of Rajasthan.

Explanation-II.- For the purposes of this sub-section, the expression “Secretary to the Government in-charge” means the Secretary to the

Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in-charge of that department.

(III) Nominated Members-

- (a) two persons nominated by the Vice-Chancellor from amongst the Deans of the Faculties for one year;
- (b) two University Professors nominated by the Vice-Chancellor for one year;
- (c) two eminent educationists to be nominated by the Chancellor for three years;
- (d) two Principals of affiliated colleges, one from the Government colleges and another from Private colleges, to be nominated by the State Government for one year;
- (e) two members of State Legislature to be nominated by the State Government for three years; and
- (f) two eminent educationists, to be nominated by the State Government for three years.

(IV) Elected Members-

two teachers of the University or its constituent colleges who have put in not less than seven years teaching experience in any institution of higher education in Rajasthan on 1st January immediately preceding the year in which elections are held, other than the University Professors, Deans, Directors of the Colleges of the University, to be elected by the teachers of the University and of its constituent colleges from amongst themselves for three years.

(2) One third of the members of the Board shall constitute the quorum for meeting.

(3) The Chairman of the Board shall perform such functions and exercise such powers as are provided in this act or as may be prescribed by the statutes or Regulations.

(4) The members shall serve without any additional pay but shall be entitled to daily allowance and traveling expenses as may be prescribed.

(5) The minutes of meeting of the Board shall be

recorded and maintained by the Member-secretary of the Board.

24. Duties and functions of the Board.- The duties and functions of the Board shall be as follows:-

- (a) to approve and sanction the budget of the University;
- (b) to acquire, to dispose of, to hold and to control the property and funds of the University and issue any general or special direction on behalf of the University;
- (c) to accept the transfer of any movable or immovable property on behalf of the University;
- (d) to administer any funds placed at the disposal of the University for the specific purposes;
- (e) to invest money belonging to the University;
- (f) to appoint the members of the academic, administrative and other staff of the University in such manner as may be prescribed;
- (g) to direct the form and use of the common seal of the University
- (h) to appoint such committees, either standing or temporary as deems necessary for its proper functioning;
- (i) to borrow money for capital improvements and make suitable arrangements for its repayment;
- (j) to meet at such times and as often as it deems necessary, provided however, that the regular meeting of the Board shall be held at least once in every three months;
- (k) to make Statutes, Ordinances and Regulations in the manner prescribed in this Act for smooth functioning of the University; and
- (l) to regulate and determine all matters concerning the University in accordance with this Act and the Statutes and to exercise such powers and to discharge such duties as may be conferred or imposed on it by this Act and the Statutes.

25. Academic Council.- (1) There shall be an Academic Council of the University consisting of the following members, namely:-

- (a) the Vice-Chancellor *ex-officio* Chairman;
- (b) Deans of the Faculties;

- (c) one Professor from each faculty to be nominated by the Vice-Chancellor;
- (d) one Principal or Director of a constituent college to be nominated by the Vice-Chancellor;
- (e) the Secretary to the Government in-charge of the Department of Medical Education;
- (f) Director of Medical Education, Government of Rajasthan;
- (g) Chairmen, Board of Studies;
- (h) two Principals of affiliated colleges, one from Government colleges and another from private colleges, to be nominated by the State Government;
- (i) two persons having special attainment in the field of the studies not being employees of the University, one to be nominated by the Chancellor and the other by the State Government;
- (j) one teacher, other than the Professors, from constituent college or University Department having a minimum ten years experience in teaching degree or post-graduate classes to be nominated by the Vice-Chancellor;
- (k) one teacher, other than the Principals, from an affiliated college having a minimum ten years experience in teaching degree or post-graduate classes to be nominated by the State Government; and
- (l) the Registrar of the University-Member-Secretary.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, the expression "Secretary to the Government in-charge" means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in-charge of that department.

(2) The term of office of nominated members shall be two years.

26. The Finance Committee.- (1)The Finance Committee shall consist of-

- (a) the Vice-Chancellor;
- (b) the Secretary to the Government in-charge of the Department of Medical Education;
- (c) the Secretary to the Government in-charge of the

- Department of Finance Department;
- (d) the Pro Vice-Chancellor, if any;
 - (e) the Registrar;
 - (f) the Controller of Examinations;
 - (g) the Finance Officer, who shall also be the Secretary of the Committee.

Explanation.- For the purposes of this sub-section, the expression "Secretary to the Government in-charge" means the Secretary to the Government in-charge of a department and includes an Additional Chief Secretary and a Principal Secretary when he is in-charge of that department.

(2) A member referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (1) may, instead of attending any meeting of the Finance Committee himself, nominate an officer not below the rank of deputy Secretary to the Government to act on his behalf.

(3) The Finance Committee shall advise the Board on matters relating to the administration of property and funds of the University. It shall, having regard to the income and resource of the University, fix limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the ensuing financial year and may, for any special reasons, revise, during the financial year, the limits of expenditure so fixed and the limits fixed shall be binding on the Board.

(4) The Finance Committee shall have such other powers and duties as may be conferred or imposed on it by this Act or the Statutes.

27. Examination Committee.- (1) There shall be an Examination Committee in the University, the constitution of which shall be such as may be provided for in the Ordinances.

(2) The Committee shall supervise generally all the examinations of the University, including moderation and tabulation, and perform the following other functions, namely :-

- (a) to appoint examiners and moderators and, if necessary, to remove them;
- (b) to review, from time to time, the result of University examinations and submission of report thereon to the Academic Council;
- (c) to make recommendations to the Academic Council for the improvement of the examination system;
- (d) to scrutinize the list of examiners proposed by the

Board of Studies, finalize the same and declare the results of the University.

(3) The Examination Committee may appoint such number of sub-committees as it thinks fit, and in particular may delegate to any one or more persons or sub-committees the power to deal with and decide cases relating to the use unfair means by the examinees.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, it shall be lawful for an Examination Committee or, as the case may be, for a sub-committee or any person to whom the examination Committee has delegated its power in this behalf under sub-section (3), to debar an examinee from future examinations of the University, if in its or his opinion, such examinee is guilty of using unfair means at any such examination.

28. Composition and functions of Faculties.- (1) There shall be such faculties in the University as may be prescribed by the statutes.

(2) Each faculty shall consist of the following, namely:-

- (a) Dean of the Faculty- Chairman;
- (b) University Professors of the subject assigned to the faculty;
- (c) Chairmen of the Boards of Studies in the Faculty;
- (d) one post-graduate college Principal and one post-graduate department Head in each subject of the faculty from affiliated colleges, nominated by the State Government; and
- (e) two external experts nominated by the Academic Council.

(3) Faculty shall perform such functions as may be prescribed by the Statutes.

29. Teaching of the University.- (1) All teaching recognized by the University shall be conducted in the University departments or in colleges, institutes and institutions.

(2) The authorities responsible for organizing such teaching shall be such as may be prescribed.

(3) The courses of study and curricula shall be such as may be prescribed by Ordinances and, subject thereto, by the Regulations.

30. Supplementary provisions relating to membership.- (1) All casual vacancies among the members (other than *ex-officio* members) of any authority or body of the University shall be filled as soon as possible by appointment, nomination or election according as the member whose place became vacant was appointed, nominated or elected and the person appointed, nominated or elected to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residuary period of the term for which the person whose place he fills would have continued but for the vacancy.

(2) A person who holds any office in the University by virtue of his holding any other office of the University or otherwise shall hold such office as long he holds the other officer and thereafter till his successor is duly nominated, appointed or elected.

(3) The Board may remove, any person not being an officer of the University from membership of any authority or body or, any employee of the University on the grounds that such person or employee has been convicted of an offence involving moral turpitude or for taking part in subversive activities or for indulging in any act or acts unbecoming the prestige of the University:

Provided that no such person or employee shall be removed under this sub-section unless he has been afforded a reasonable opportunity of showing cause as to why he should not be so removed and such cause has been considered by the Board:

Provided further that prior approval of the State Government shall be necessary for taking such action against a member of any authority or body of the University, nominated by the State Government.

(4) If any question arises regarding any person who has been appointed, nominated or elected as, or is entitled to be, a member of any authority of the University subordinate to the Board or regarding any decision of the Board under this Act and the Statutes, the matter shall be referred to the Chancellor for his decision, and the decision of the Chancellor shall be final.

31. Proceedings of any authorities or bodies of the University not to be invalid by reason of any vacancy.- No act or proceedings of any authority or body of the University shall be invalid by reason of the existence of a vacancy among its members or by reason of some person having taken part in the proceedings

who is subsequently found not to have been entitled to do so.

32. Age of retirement.- Subject to any provision in the Statutes to the contrary or any directions or policy of the State Government in this regard all the employees of the University shall ordinarily retire from service upon attaining the age of sixty years.

33. Pension or provident fund.- (1) For the benefit of its officers, teachers, clerical staff and other employees, the University shall constitute, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, such pension, gratuity, insurance and provident fund as it may deem fit.

(2) Provision shall be made in Statutes to ensure that staff members transferred from employment in the service of the State shall have their accrued service benefits protected upon such transfer.

34. Teachers and officers of the University.- (1) The appointment of teachers and officers of the University shall, save as provided in this Act, be made in accordance with the provisions of the Rajasthan Universities Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act, 1974 (Act No. 18 of 1974).

(2) Except in cases provided for by the Statutes, teachers and officers of the University shall be appointed under a written contract. The contract shall be furnished to the teacher or officer concerned. The contract shall not be inconsistent with the provisions of this Act and the Statutes for the time being in force in relation to the conditions of service.

35. University Fund.- (1) The University shall establish, maintain and administer a fund to be called the 'University Fund'.

(2) The following moneys shall form part of, and be paid into, the University Fund, namely: -

- (a) any contribution or grant by the State Government;
- (b) income arising to the University from all sources including income from fees and charges;
- (c) trusts, bequests, donations, endowments and other grants, if any; and
- (d) such other moneys as may be prescribed by the Statutes.

(3) The matter to which the University Fund may be applied and appropriated shall be those prescribed by this Act or the Statutes.

- (4) All expenses incurred under and in pursuance of any

provision of this Act shall be met out of the University Fund.

(5) The University shall have power to borrow, on the security of the University properties and with the concurrence of the State Government, money for the purposes of the University.

36. Control of the State Government.- Where the State Government funds are involved, the University shall abide by the terms and conditions attached to the sanction of such funds which may *inter-alia* include prior permission of the State Government in respect of the following namely: -

- (a) creating of the new posts of teachers, officers or other employees;
- (b) revision of the pay, allowances, post retirement benefits and other benefits to its teachers, officers and other employees;
- (c) grant of any additional or special pay, allowance or other extra remuneration of any description whatsoever, including *ex-gratia* payment or other benefits having financial implications, to any of its teachers, officers or other employees;
- (d) diversion of any earmarked funds for the purpose other than that for which it was received;
- (e) transfer by sale, lease, mortgage or otherwise of immovable property;
- (f) incur expenditure on any development work from the funds received from the State Government for any purposes other than that for which the funds are received;
- (g) taking any decision regarding affiliated colleges resulting in increased financial liability, direct or indirect, for the State Government.

Explanation.- The above conditions shall also apply in respect of the posts created from any other fund, which may in long term likely to cause financial implications to the State Government.

37. Assumption of financial control by the State Government as emergency measure.- If the State Government is satisfied that, owing to mal-administration or financial mismanagement in the University, a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may, by notification, declare that the finance of the University shall be

subject to the control of the State Government and issue such other directions, as it may deem fit for the purpose and the same shall be binding on the University.

38. Statutes.- Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for any matter and shall in particular provide for the following, namely:-

- (a) the constitution, powers and duties of the authorities of the University;
- (b) the appointment, nomination or election and continuance in office of the members of the authorities of the University and all other matters relating to these authorities for which it may be necessary or desirable to provide;
- (c) the designation, manner of appointment, powers, duties and service conditions of the officers of the University;
- (d) the classification and manner of appointment of teachers and their service conditions and qualifications;
- (e) the constitution of pension, gratuity, insurance and provident funds for the benefit of officers, teachers and other employees of the University;
- (f) the conferment of honorary degrees;
- (g) the establishment, amalgamation, sub-division and abolition of departments;
- (h) the establishment and abolition of hostels maintained by the University;
- (i) the moneys to form part of, and to be paid into, the University Fund and the matters to which the fund may be applied and appropriated;
- (j) the number and emoluments of teachers of the University and the preparation and maintenance of a record of their services and activities.
- (k) the remuneration and allowances, including traveling and daily allowances to be paid to persons employed in the business of the University; and
- (l) all other matters which by this Act are required to be or may be provided for or prescribed by the Statutes.

39. Statutes how made.- (1) The Statutes may be made, amended or repealed by the Board in the manner hereinafter

provided.

(2) The Board may take into consideration the draft of a Statute either at its own motion or on a proposal by any authority of the University.

(3) The Board, if it thinks necessary, may also obtain the opinion of any officer, authority or body of the University in regard to any draft Statute, which is before it for consideration.

(4) Every Statute passed by the Board shall be submitted to the Chancellor who may give or withhold his assent thereto or send it back to the Board for reconsideration.

(5) No Statute passed by the Board shall be valid or shall come into force until assented to by the Chancellor.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Chancellor, either *suo motu* or on the advice of the State Government, may, direct the University to make provisions in the Statutes in respect of any matter specified by him and if the Board fails to implement, such a direction within sixty days of its receipt, the Chancellor may, after considering the reasons, if any, communicated by the Board for its inability to comply with such direction, make or amend the Statutes suitably.

40. Ordinances.- Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the courses of study, admission or enrollment of students, fee, qualifications or conditions requisite for any degree, diploma, certificate or fellowship;
- (b) the conduct of examinations including the appointments of examiners and their terms and conditions;
- (c) the conditions for residing in any hostel or other place of residence run or maintained by the University, the levying of charges therefore and other related matters;
- (d) the recognition and supervision of hostels not run or maintained by the University; and
- (e) any other matter required by this Act or the Statutes to be dealt by or under the Ordinances of the University.

41. Ordinances how made.- (1) The Board may make, amend or repeal Ordinances in the matter hereinafter provided.

(2) No Ordinance concerning the academic matters shall be made by the Board unless a draft thereof has been proposed by the Academic Council.

(3) The Board shall not have the power to amend any draft proposed by the Academic council under sub-section (2), but may reject or return it to the Academic Council for reconsideration, in part or in whole, together with any amendments which the Board may suggest.

(4) All Ordinances made by the Board shall have effect from such date as it may direct, but every Ordinance so made shall be submitted to the Chancellor within two weeks. The Chancellor shall have the power to direct the Board, within four weeks of the receipt of the Ordinance to suspend its operation, and he shall, as soon as possible, inform the Board of his objection to it. He may, after receiving the comments of the Board, either withdraw the order suspending the Ordinance or disallow the Ordinance, and his decision shall be final.

42. Regulations.- (1) Every authority of the University may make Regulations consistent with this Act and the Statutes and Ordinances:-

- (a) laying down the procedure to be observed at their meetings and the number of members required to form a quorum;
- (b) providing for all matters which by this Act and the Statutes or Ordinances are to be provided for by that authority by the Regulation; and
- (c) providing for any other matter solely concerning such authority and not provided for by this Act and the Statutes or Ordinances.

(2) Every authority of the University shall make Regulations providing for the giving of notice to the members of such authority of the dates of meetings and of the business to be transacted thereat and for the keeping of a record of the proceeding of meetings.

(3) The Board may direct the amendment, in such manner as it may specify, of any Regulations made under this section or the annulment thereof by any authority of the University.

43. Residence of Students.- The students shall reside in accommodation provided by the University or approved by the

Vice-Chancellor subject to the conditions prescribed.

44. Delegation of powers.- The Board may by Statutes delegate to any officer or authority any of the powers conferred upon it by this Act, to be exercised subject to such restrictions and conditions as may be prescribed by the Statutes.

45. Annual Report.- The annual report of the University shall be prepared under the direction of the Vice-Chancellor and circulated among the members of the Board one month before the annual meeting of the Board at which it is to be considered. The annual report, as approved by the Board, shall be sent to the State Government for being laid on the table of the House of the State Legislature.

46. Accounts and audit.- (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared by the Finance Officer under the direction of the Vice-chancellor and all moneys accruing to or received by the University from whatever source and all amounts disbursed or paid shall be entered in the accounts.

(2) Such accounts shall be audited in such manner and by such auditors as the State Government may direct and the cost of such audit shall be a charge on the University Fund.

(3) The accounts when audited shall be printed and copies thereof, together with audit report, shall be submitted by the Vice-Chancellor to the Board which shall forward them to the State Government with such comments as may be deemed necessary.

47. Temporary arrangements.- (1) At any time after the commencement of this Act and until such time as the authorities of the University are duly constituted, any officer of the University may be appointed by the Vice-Chancellor with the prior approval of the Chancellor to carry on the duties of any such authority.

(2) The Vice-Chancellor may make temporary appointments, subject to the approval of the Board at its next meeting, following the making of such appointments.

48. Reference to Government Officers to be construed in case of change of designation as reference to corresponding officers.- Where any provision of this Act or of the Statutes, Ordinances or Regulations refer to an officer of the State Government by designation, then, if that designation is altered or that office ceases to exist the reference shall be construed as a

reference to the altered designation, or as the case may be, to such corresponding officer as the State Government may direct.

49. Residuary provisions.- The Board shall have the authority to deal with any matter pertaining to the University and not specifically dealt with in this Act. The decision of the Board on all such matters shall, subject to revision by the Chancellor, be final.

50. Removal of difficulties.- (1) The State Government may for the purpose of removing any difficulties, in the area and in matters covered by this Act, by order published in the Official Gazette,-

- (a) direct that this Act shall during such period as may be specified in the order take effect subject to such adaptations whether by way of modification, addition or omission consistent with this Act as it may deem fit to be necessary or expedient; or
- (b) give such directions as appear to it to be necessary for the removal of such difficulties that may arise in giving effect to the provisions of this Act; or
- (c) make such other temporary provisions for the purpose of removing any such difficulties as it any deem fit to be necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after twelve months from the date of the commencement of this Act.

(2) All orders made under sub-section (1) shall be laid before the House of the State Legislature for fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such orders or resolves that any order should not be made, such order shall affect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(3) If any question arises regarding the interpretation of any provisions of this Act or any Statutes or Ordinances or Regulations made under this Act, or as to whether any person has been duly appointed as or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter may be

referred to the Chancellor and shall be so referred if the Vice-Chancellor and any ten members of the Board so require. The Chancellor shall, after taking such advice from the State Government, as he deems necessary, decide the question and his decision shall be final.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Keeping in view Rajasthan being the largest State in India in terms of area and increasing number of Medical Colleges in the State and also to ensure better facilities of quality Medical Education and High End Research in the western part of the State and to comply with the announcement made by the Chief Minister in the Budget Session 2023-24, it is proposed to establish a new Medical University named “ The Marwar Medical University” at Jodhpur.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.
Hence the Bill.

परसादी लाल,
Minister Incharge.

FINANCIAL MEMORANDUM

The Marwar Medical University Bill, 2023 provides for establishment of “The Marwar Medical University” at Jodhpur. The recurring and non-recurring expenditure to be incurred for the establishment of the University has been computed. Accordingly, rupees five hundred crores as non-recurring expenditure will be required for the construction and establishment of infrastructure and rupees two crores per year will be required as recurring expenditure to run the University, which may grow with time.

परसादी लाल,
Minister Incharge.

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED
LEGISLATION**

Clauses 38, 40 and 42 of the Bill if enacted shall empower the University or its Authorities to make Statutes, Ordinances and Regulations respectively, with respect to the matters enumerated in the said clauses.

The proposed delegation is of normal character and relates to matter of detail.

परसादी लाल,
Minister Incharge.

Bill No. 24 of 2023

THE MARWAR MEDICAL UNIVERSITY BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

*to establish and incorporate the Marwar Medical University at
Jodhpur in the State of Rajasthan.*

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Principal Secretary.

(Parsadi Lal, **Minister-Incharge**)

मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक, 2023

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान राज्य में जोधपुर में मारवाड़ चिकित्सा विश्वविद्यालय
स्थापित और निगमित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रमुख सचिव।

(परसादी लाल, प्रभारी मंत्री)